

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

27 तारीख दायर 06/08/2020 दिनांक निर्णय 31/08/2020

उनवान

सी हल्का धमरेड बनाम नारायण

न पत्रावली मु-नायब तहसीलदार पेश हुई। उप./अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है।

जायल बन्द की जानी है। अतिक्रमी का स. 207.7 का नया कब्जा होना साबित होता है।

काबिल बेदखली है।

दख है कि-

त नारायण पुत्र/पत्नी अर्जुन

मीना निवासी धमरेड

राजकी खसरा नं. 942 रकबा 0.08 किस्म सिवाथचक्र वाके ग्राम.

धमरेड से बेदखल किया जाता है, तथा शरह लगान 0.40 की.

50 गुणा में मु. 20.00 रूपये कायमी कराई जावें

A व पटवारी की पालनार्थ लिखा जावें।


फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

रा. ले. स. 4 वर्ष. 2020-21

के पृष्ठ संख्या. 13 पर सि. ज. पं. 20/-

राशि कायम किये गये। क. वि. 400/-

पिबठ  
त. रा. लेखाकार

  
 नायब तहसीलदार  
 राजगढ़ (अलवर)  
 राजगढ़ (अलवर)